न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

223RTA 146 of 2023(GCMS 275 of 2023)

1. पुरखाराम पुत्र कालूराम
2. रामदीन पुत्र ऊंकारराम
3. रामनिवास पुत्र आनन्दप्रकाश
   सभी जातियान् कुम्हार (प्रजापति)
   निवासीगण- पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा,
   जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. रेवतराम पुत्र पाबूराम
2. अणदाराम पुत्र सीमाराम
3. अम्बालाल पुत्र पेमाराम
4. ओमदत पुत्र गोकलराम
5. कमली पुत्री सुगनाराम
6. गजराई पत्नी मांगीलाल
7. गुटकीदेवी पुत्री आसुराम
8. गीता पुत्री आसुराम
9. घेवरराम पुत्र अनाराम
10. चैनाराम पुत्र पूनाराम
11. छैलाराम पुत्र मांगीलाल
12. टीडाराम पुत्र गोपाराम
13. तुलछाई पत्नी पाबूराम
14. तिजाई देवी पत्नी बचनाराम
15. दाखूदेवी पत्नी पेमाराम
16. धोकलराम पुत्र गोपाराम
17. नरसिंगराम पुत्र जोगाराम
18. नवरतनमल पुत्र अमराराम
19. नाथी देवी पत्नी अमराराम
20. पतासी पत्नी डांवरराम
21. पन्नालाल पुत्र आसुराम
22. पन्नालाल पुत्र सुगनाराम
23. पपूराम पुत्र पूनाराम
24. प्रकाशराम पुत्र जोगाराम
25. पानीदेवी पत्नी आसुराम
26. पोकरराम पुत्र सीमाराम
27. फैफली पत्नी बंशीलाल
28. बाबूलाल पुत्र सुगनाराम

30.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी

29. बाबुलाल पुत्र पेमाराम
30. बाबुलाल पुत्र गोकलराम
31. भाकरराम पुत्र गोपाराम
32. मदनलाल पुत्र पाबूराम
33. मैनादेवी पुत्री पाबूराम
34. मनीषा पुत्री रामचन्द्र
35. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल
36. रेखा पुत्री अमराराम
37. लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल
38. लालूराम पुत्र बालूराम
39. श्यामलाल पुत्र सुगनाराम
40. शांति पुत्री पाबूराम
41. शिवदानराम पुत्र श्रीराम
42. शोबा पुत्री अमराराम
43. संतोष पुत्री बंशीलाल
44. सुमन पुत्री रामचन्द्र
45. सुमित्रा पुत्री अमराराम
46. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल
47. हाथीराम पुत्र गोपाराम
48. केवलराम पुत्र कालूराम
49. चम्पादेवी पत्नी आनन्दप्रकाश
50. बिड़दाराम पुत्र शिवजीराम
51. रुक्मा देवी पत्नी रमेशचन्द्र
52. राकेश पुत्र आनन्दप्रकाश

सभी जातियान् कुम्हार (प्रजापति)
निवासीगण- पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर।

53. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा
जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2023 रेवतराम व अन्य बनाम केवलराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री अशोक पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

30.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता- रेस्पो. सं. 1 से 3,5 से 19,
21 से 29, 31 से 47 व 50
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 53

नि र्ण य

दिनांक : 30 नवंबर 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2023 रेवतराम व अन्य बनाम केलवराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 47 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1620 रकबा 3.3412 हैक्टेयर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2023 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जा कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की तामील अवैध एवं धोखा धड़ी के करवा कर एवं उसी दिन एकपक्षीय कार्यवाही केवल 7 दिन के भीतर-भीतर बिना सूचना कर दी गई एवं उसी दिन उसी ऑर्डरशीट में एक पक्षीय कार्यवाही एवं साक्ष्य शपथ-पत्र प्राप्त करना तथा बहस सुनने की कार्यवाही कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 को पारित कर उसी दिन तहसीलदार बिलाड़ा को तहरीर जाकर पी.डी. पालना मंगवा दी गई, जबकि आदेश 5 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान है कि प्रतिवादी के सम्मन की तामील होने के 30 दिन में

30-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित होने के लिए समय एवं अवसर दिया जाना आवश्यक है। उक्त अवधि में उपस्थित नहीं होने पर ही एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है। आदेश 5 नियम 18 सीपीसी के तहत तामील करने वाला तामील कुनिन्दा उन सभी दशाओं में जिसमें सम्मन की तामील की गई है, जिसमें उस व्यक्ति को जिस पर तामील की गई है, पहचाना था और सम्मन के परिदान या निविदान का साक्ष्य रहा था तो उसका नाम और पता साबित करने वाली विवरणी मूल सम्मन पर पृष्ठांकित करेगा या करवायेगा या मूल सम्मन से उपबंध करेगा या करवायेगा। उक्त नियम को नजरअंदाज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण डिक्री जा की गई हैं। रेस्पोडेंट संख्या 34, जो नाबालिग है, आलौच्य वाद प्रस्तुत नही कर सकता है। उक्त तथ्य पर विचारण न्यायालय द्वारा गौर ही नहीं किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 5, 7, 8, 11 , 13, 22, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 47, 51 जो वर्षो से दक्षिण भारत में निवास करते है, उनके नाम पर भी त्रुटिपूर्ण वाद पेश किया गया है तथा मिलीभगती कर गलत हस्ताक्षर करवा कर तामील रिपोर्ट पेश की गई है तथा रेस्पोडेंट के नाम से हस्तगत अपील में फर्जी हस्ताक्षर करके वकालतनामा पेश किया गया है। उक्त रेस्पोडेंट की तामील रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस बोरूंदा से चाही गई जो आज दिन तक प्रदान नहीं की गई है। रेस्पोडेंट्स द्वारा डाक विभाग से मिलीभगती कर गलत तरीके से तामील करवायी गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05 जून 2018 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील हेतु नियमानुसार सम्मन भेजे गये जो अपीलांट्स द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में मामले के गुणावगुण पर किसी प्रकार का

30-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कोई उज्र पेश नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री को एकपक्षीय होने के आधार पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर.बी.जे.(14) 2007 पेज 837 एवं 2014(4)DNJ(Raj) पेज 1313 में उद्धरित किया है कि सम्मन तामील की अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं किया जा सकता है। अपीलांट का यह मिथ्या कथन किया गया है कि अपीलांट्स को विचारण न्यायालय द्वारा उपस्थिति का अवसर नहीं दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील लौटकर आने पर उन्हें दिनांक 10 जुलाई 2023 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान कर आगे पेशीया दी गई थी। फिर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए, तब उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पारित किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी. 1994 पेज 620, आर.आर.डी. 1990 पेज 20, आर.बी.जे.(9) 2002 पेज 198, आर.बी.जे.(21) 2014 पेज 732, 2021(2) आर.आर.टी. पेज 1412, 2023(1)आर.आर.टी. पेज 88, 2008(2) आर.आर.टी. पेज 799 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान परिशीलन किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर

30.11.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदी संवतः 2074-2077 ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाड़ा अनुसार खसरा नं. 1620 रकबा 3.3412 हैक्टेयर में पक्षकारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का राजस्थान टिनेंसी एक्ट के नियमो अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार को निर्देश जा किये है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का तथ्य उठाया है।

अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील में प्रकरण की गुणावगुण पर किसी प्रकार की अनियमिता पर उज्र नहीं उठाये जाकर केवल अपीलांट्स पर सम्मनों सम्यक तामील न करवाये जाने तथा अन्य पक्षकारान् के बाहर निवास करने तथा उनके फर्जी हस्ताक्षर कर हस्तगत अपील में वकालतनामा प्रस्तुत करने के उज्र उठाये गये है। जिन्हें समुचित ठोस आधार पर साबित भी नहीं किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्च न्यायालयों ने प्रतिपादित किया है कि मामले को तामील की अनियमितता अथवा तकनीकी आधार पर एकपक्षीय डिक्री को खारिज कर मामला प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत पारित किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में गुणावगुण पर किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2023 रेवतराम व अन्य बनाम केलवराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया

30-11-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करे। तत्संबंधित कार्यवाही हेतु उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.11.23

{मंगलाराम पूनिया}

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. पुरखाराम पुत्र कालूराम
2. रामदीन पुत्र ऊंकारराम
3. रामनिवास पुत्र आनन्दप्रकाश

सभी जातियान् कुम्हार (प्रजापति)
निवासीगण- पटेल नगर, तहसील
बिलाड़ा,
जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. रेवतराम पुत्र पाबूराम
2. अणदाराम पुत्र सीमाराम
3. अम्बालाल पुत्र पेमाराम
4. ओमदत पुत्र गोकलराम
5. कमली पुत्री सुगनाराम
6. गजराई पत्नी मांगीलाल
7. गुटकीदेवी पुत्री आसुराम
8. गीता पुत्री आसुराम
9. घेवरराम पुत्र अनाराम
10. चैनाराम पुत्र पूनाराम
11. छैलाराम पुत्र मांगीलाल
12. टोडाराम पुत्र गोपाराम
13. तुलछाई पत्नी पाबूराम
14. तिजाई देवी पत्नी बचनाराम
15. दाखूदेवी पत्नी पेमाराम
16. थोकलराम पुत्र गोपाराम
17. नरसिंगराम पुत्र जोगाराम
18. नवरतनमल पुत्र अमराराम
19. नाथी देवी पत्नी अमराराम
20. पतासी पत्नी डांवरराम
21. पन्नालाल पुत्र आसुराम
22. पन्नालाल पुत्र सुगनाराम
23. पपूराम पुत्र पूनाराम
24. प्रकाशराम पुत्र जोगाराम
25. पानीदेवी पत्नी आसुराम
26. पोकरराम पुत्र सीमाराम
27. फैफली पत्नी बंशीलाल
28. बाबूलाल पुत्र सुगनाराम
29. बाबुलाल पुत्र पेमाराम
30. बाबुलाल पुत्र गोकलराम
31. भाकरराम पुत्र गोपाराम
32. मदनलाल पुत्र पाबूराम
33. मैनादेवी पुत्री पाबूराम
34. मनीषा पुत्री रामचन्द्र
35. महेन्द्र पुत्र मांगीलाल
36. रेखा पुत्री अमराराम
37. लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल
38. लालूराम पुत्र बालूराम

30.11.23

राजस्व अपील प्राधिकारी

39. श्यामलाल पुत्र सुगनाराम
40. शांति पुत्री पाबूराम
41. शिवदानराम पुत्र श्रीराम
42. शोबा पुत्री अमराराम
43. संतोष पुत्री बंशीलाल
44. सुमन पुत्री रामचन्द्र
45. सुमित्रा पुत्री अमराराम
46. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल
47. हाथीराम पुत्र गोपाराम
48. केवलराम पुत्र कालूराम
49. चम्पादेवी पत्नी आनन्दप्रकाश
50. बिड़दाराम पुत्र शिवजीराम
51. रुक्मा देवी पत्नी रमेशचन्द्र
52. राकेश पुत्र आनन्दप्रकाश

सभी जातियान् कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण- पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

53. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2023 रेवतराम व अन्य बनाम केवलराम इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 30 नवम्बर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री अशोक पटेल मिनजानिब अपीलाण्ट् एवं अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरी एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी, मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2023 रेवतराम व अन्य बनाम केलवराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17 जुलाई 2023 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई को अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी करे। तत्संबंधित कार्यवाही हेतु उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 दिसंबर 2023 को उपस्थित रहे।

अपील प्राधिकारी

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30 नवम्बर 2023 को जारी किया गया।

30.11.23
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

30.11.23
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर